" हिंदी में पत्र व्यवहार कर देश का गौरव बढ़ाएं "

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपारेशन लिमिटेड

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED
(भारत सरका का उद्यम) (**A Government of India Enterprise**)
Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRIC
Website www.recindia.com & www.recindia.nic.in

सं. आरईसी/5(8)/प्रशा./2010 दिनांक: 17.09.2010

सेवा में,

-----------------------------,

-----------------------------,

-----------------------------,

(संलग्न सूची अनुसार, अन्यों के लिए आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है)

विषय: ताजा फूलों की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए फर्मों का एम्पैनलमेंट

महोदय,

निगम, निविदा दस्तावेज, जिसकी एक प्रति संलग्न है, के अनुसार ताजा फूलों की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए बोलियां आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेज आरईसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

बोलियों को 27 सितंबर, 2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा और उसी दिन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, यदि कोई हों तो, अपराह्न 4.00 बजे खोला जाएगा।

भवदीय,

ह./-

(ए.के.अरोड़ा)

उप महाप्रबंधक(प्रशा.)

संलग्नक: निविदा दस्तावेज

साफ्ट कॉपी सहित निविदा दस्तावेज की प्रति उप महाप्रबंधक(आईटी)को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे निविदा दस्तावेज को आरईसी वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

कारपोरेट कार्यालय, आरईसी में तराशे हुए ताजा फूलों (फ्रैश कट फ्लॉवर्स) की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)।

निविदा दस्तावेज

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), भारत सरकार का उद्यम, एक वर्ष की अवधि के लिए कारपोरेट कार्यालय मे तराशे हुये फूलों की आपूर्ति हेतु स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली, के 7 कि.मी. के अंदर स्थित फर्मों से **'मुहरबंद बोलियां'** आमंत्रित करता है। यह अवधि इन्हीं शर्तों के आधार पर आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है। कार्य-क्षेत्र तथा वस्तुओं की अनुमानित मांग अनुबंध-1 में दी गई है। बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुबंध-2 में दिए गए फॉर्मेट अनुसार भाव-दरों को उद्धृत करें। वस्तुओं की अनुमानित वार्षिक मांग लगभग रूपये 2 लाख है।

2. बोलियों को अनुबंध-2 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र अनुसार सीलबंद लिफाफे में, जिस पर **'तराशे हुये ताजा फूलों की आपूर्ति हेतु बोली'** लिखा हो, भेजा जाए। बोलियों पर, बोलीदाता फर्म की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हों और उन्हें निम्न पते पर भेजा जाए:-

श्री ए.के.अरोड़ा,

उप महाप्रबंधक (प्रशासन),

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,

<u>नई दिल्ली-**110003**</u>

3. सीलबंद बोलियों को आरईसी द्वारा 27 सितंबर, 2010 को 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा के उपरांत किसी बोली पर, न्यूनतम दरों के बावजूद, विचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को उसी दिन अर्थात् 27 सितंबर, 2010 को अपराह्न 4.00 बजे बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

4. **बोली दस्तावेज** के साथ रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) की जमा बयाना राशि (ईएमडी) संलग्न की जाए। जमा बयाना राशि का भुगतान, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के रूप में किया जाएगा। ऐसी जमा बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अपेक्षित जमा बयाना राशि के बिना प्राप्त बोली को अमान्य समझा जाएगा तथा उसे आरईसी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5. बोली वैधता अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा बोली को वापस लेने की स्थिति में जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. सफल बोलीदाता की जमा बयाना राशि को संविदा का कार्य निष्पादन के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में रख लिया जाएगा तथा उसे केवल संविदा की समाप्ति उपरांत वापस किया जाएगा।

7. बोली, बोली प्राप्त करने की तारीख से, 4 महीनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

8. <u>दरें एवं मूल्य</u>

8.1 बोलीदाताओं को अनुबंध-2 में दिए गए फॉर्मेट अनुसार दरों को उद्धृत करना चाहिए।

8.2 सभी सांविधिक शुल्क तथा कर (उत्पाद-शुल्क तथा सीमा शुल्क सहित) तथा वैट और बोलीदाता द्वारा देय अन्य शुल्कों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए। उद्धृत दरें स्थायी होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की वैधता के दौरान दरों, मूल्यों अथवा निबंधन में कोई फेरबदल होने पर जमा बयाना राशि जब्त हो जाएगी। हालांकि, करों में किसी प्रकार के फेरबदल होने पर भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा।

8.3 फूलों और गुच्छों की आपूर्ति तथा सुपुर्दगी के लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा अथवा अन्य शुल्क आदि देय नहीं होगा। वस्तुओं की सुपुर्दगी आरईसी द्वारा विनिर्दिष्ट स्कोप भवन तथा पालिका भवन में आरईसी के कार्यालय में की जाएगी।

9. <u>अदायगी की शर्तें</u>

अदायगी, बिल प्राप्ति पर तथा आरईसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन के प्रमाणित होने के उपरांत एक पखवाड़े में, मासिक आधार पर की जाएगी।

10. <u>बोलियों का मूल्यांकन</u>

वैध बोलियों को, अनुबंध-1 में इंगित की गई प्रति वस्तु से गुणित अनुमानित प्रमात्रा के अनुसार प्रस्तावित न्यूनतम दरों के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। इस प्रकार पूर्वाकलित न्यूनतम दरों की पेशकश करने वाले बोलीदाता को कार्य का ठेका दिया जाएगा। अनुबंध-2 के खंड 2, 3, 4 और 5 में निर्धारित अर्हता मानदंड को पूरा न करने वाली बोलियों को, निम्न दरों के उद्धृत करने के बावजूद अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर बोली प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वैध बोलियां न्यूनतम दो से कम रहती हैं तो पुन: निविदा की जाएगी और जमा बयाना राशि सभी प्रतिभागियों को वापिस की जाएगी।

11. <u>आपूर्ति /अपवर्जन में विलंब</u>

11.1 संविदा में समय महत्वपूर्ण है। सभी श्रेणी क, ख, ग (अनुबंध-1) के लिए फूलदानों/टोकरियों की व्यवस्था पूर्वाह्न 9.30 बजे से पहले करनी होगी और श्रेणी घ के लिए टेलीफोन/ई-मेल द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 2 घंटे बाद की जाएगी। सफल बोलीदाता को समय सीमा का पालन करना होगा और निर्धारित समय के अंदर सुपुर्दगी सुनिश्चित करनी होगी।

11.2 अपवर्जन की स्थिति में निम्नलिखित कटौती की जाएगी:-

क. फूलों/गुच्छों की आपूर्ति में एक घंटे की देरी : कार्य आदेश की लागत का 20 प्रतिशत

ख. फूलों/गुच्छों की आपूर्ति में दों घंटे से अधिक की देरी : कार्य आदेश की लागत का 100 प्रतिशत

ग. फूलों/गुच्छों की गुणवत्ता खराब होना : कार्य आदेश की लागत का 30 प्रतिशत

11.3. तथापि, यदि अपर्वन एक आम आदत बन गई है, तो संविदा रद्द कर दी जाएगी और किसी अन्य एजेंसी से आपूर्ति की व्यवस्था में होने वाले अतिरिक्त खर्च की वसूली बोलीदाता के लंबित भुगतान और/अथवा उसकी जमा बयाना राशि/ प्रतिभूति जमा में से की जाएगी।

12. <u>सुलह/माध्यस्थम्</u>

12.1 यदि पार्टियों के बीच किसी प्रकार का विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होता है तो पार्टियां उसका समाधान एवं निपटान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से, सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा करेंगी।

12.2 यदि किसी एक पार्टी द्वारा नोटिस दिए जाने के 30 दिनों के अंदर भी पार्टियां आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान अथवा निपटान करने में असमर्थ रहती हैं तो उक्त विवाद अथवा मतभेद का मामला निपटान के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नियुक्त एकल विवाचक को भेजा जाएगा।

12.3 किसी विवाद अथवा मतभेद तथा/अथवा माध्यस्थम के लिए मामले को भेजे जाने के बावजूद, संविदाकार को संविदा के अंतर्गत कार्य के निष्पादन को, अध्यवसायी तथा पेशेवर तरीके से निर्बाधित रूप से करते रहना चाहिए तथा संविदाकार

को देय भुगतान को, माध्यस्थम् की कार्यवाही के कारण से, रोका नहीं जाएगा बशर्ते कि भुगतान ही माध्यस्थता का विवादित विषय हो।

12.4 माध्यस्थता की कार्यवाही, विद्यमान माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम,1996 तथा समय-समय पर अधिनियमित अथवा संशोधित भारतीय कानूनों के अनुसार होगी।

12.5 माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली, भारत होगा। माध्यस्थम् की फीस एवं अन्य शुल्कों को अधिनियम के अनुसार विवाचक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

12.6 विवाचक एक तर्कयुक्त तथा व्याख्यानपूर्ण निर्णय देगा। पार्टियों को माध्यस्थम् की कार्यवाही के दौरान वादकालीन ब्याज आदि पाने का अधिकार नहीं होगा।

13. <u>अनिवार्य बाध्यता(फोर्स मेज्यूर)</u>

13.1 अनिवार्य बाध्यता के कारण संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले किसी दायित्व के किसी एक पार्टी द्वारा निष्पादन न कर पाने की स्थिति में, ऐसी अनिवार्य बाध्यता (फोर्स मेज्यूर) से प्रभावित पार्टी के दायित्व को, ऐसे कारण के समाप्त होने की अवधि तक, निलंबित कर दिया जाएगा।

13.2 यहां पर प्रयुक्त शब्द 'अनिवार्य बाध्यता' (फोर्स मेज्यूर) से तात्पर्य प्राकृतिक आपदा, युद्ध, सिविल उपद्रव, आगजनी, बाढ़ तथा आरईसी एवं संविदाकार, दोनों पार्टियों के लिए की संबंधित सरकार के उन नियमों एवं विनियमों से है, जो संविदा के निष्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हों।

13.3 ऐसी घटना के होने पर तथा उसकी समाप्ति पर, उसके कारण निष्पादन करने में असमर्थता का अभिकथन करने वाली पार्टी को, अनिवार्य बाध्यता की श्रेणी में आने वाले कारण के शुरू होने पर दूसरी पार्टी को लिखित में सूचित करना होगा तथा संबंधित कारण की समाप्ति का भी नोटिस दूसरी पार्टी को ऐसी घटना की समाप्ति के 72 घंटों के अंतर्गत देना होगा। यदि अनिवार्य बाध्यता की परिस्थितियों के कारण डिलिवरियों को 2(दो) महीनों से अधिक अवधि तक निलंबित किया जाता है तो आरईसी को, बिना किसी देयता के अपने विवेक से, संविदा को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार होगा।

13.4 अनिवार्य बाध्यता के कारण निलंबित संबंधित दायित्व के निष्पादन की अवधि को, ऐसे कारण की प्रभावित अवधि के अनुसार, बढ़ा दिया जाएगा।

14 <u>लागू कानून तथा अधिकार क्षेत्र</u>

इससे संबद्ध सभी मामलों को, दिल्ली में भारतीय न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता के आधार पर, उस समय लागू वास्तविक तथा कार्यविधिक, दोनों को, भारतीय कानून द्वारा शासित किया जाएगा।

15. किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. आरईसी के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी कार्रवाई के आधार पर प्रभावित बोलीदाताओं को सूचित करने के किसी दायित्व के बिना अथवा प्रभावित बोलीदाता को बिना किसी देयता के प्राप्त की गई सभी बोलियों अथवा किसी एक को अस्वीकृत करने के सहित, संविदा सौंपे जाने से पूर्व किसी भी समय बोली की प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।

17. आरईसी के पास, किसी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा उससे संबंधित किसी देयता के बिना, क्रयादेश दिए जाने से पूर्व बोली प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने तथा सभी बोलियों के अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

18. दस्तावेज के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:-

श्री ए.के.अरोड़ा	श्री जी एस बिंद्रा

उप महाप्रबंधक (प्रशासन), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **नई दिल्ली-110003** दूरभाष सं0: 24366921	सहायक अधिकारी (प्रशासन), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **नई दिल्ली-110003** दूरभाष सं0: 24365161

अनुबंध- **1**

कार्य-क्षेत्र तथा वस्तुओं की अनुमानित मांग

1. संविदाकार को स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड तथा पालिका भवन, आर.के.पुरम में आरईसी के कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा महाप्रबंधक, स्वागत-कक्ष तथा स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड और पालिका भवन, आर.के.पुरम आरईसी कार्यालयों के बोर्ड रूम में उपयुक्त फूलों की आपूर्ति तथा व्यवस्था करनी होगी। फूलदानों को सप्ताह में तीन बार अर्थात् सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बदला जाएगा।

2. फूलों की व्यवस्था चार प्रकार से होगी - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा स्वागत-कक्ष के लिए श्रेणी 'क'; महाप्रबंधक इत्यादि के लिए श्रेणी 'ख'; वीआईपी प्रसाधन-कक्षों के लिए श्रेणी 'ग'; तथा वीआईपी पुष्प-गुच्छों के लिए श्रेणी 'घ'। श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

<u>श्रेणी 'क'</u>

जाइफसोफिला, एस्पारागस, गोल्डन रॉड पॉल्म आदि जैसी पत्तियों से सुसज्जित जर्बर ऑर्चिड, एसियाटिक लिली, लोटस एम.सी.ग्लैडियूलॅस, चिरायसथिमम, कार्नेशन लोटस इत्यादि जैसे विजातीय फूलों के, अकेले अथवा मिश्रित, न्यूनतम 15 पुष्प-कलश/पिन होल्डरों/बॉस्केट (अंडाकार सहित) में ताजा फूलों की आपूर्ति करना; कलश को साफ करने तथा उसको रखने की स्थिति का निर्धारण भी प्रशासन प्रभाग के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार किया जाएगा।

<u>श्रेणी 'ख'</u>

एस्पारागस, थूजा, मुर्राया तथा ऐसे अन्य पौधों की पत्तियों से सुसज्जित हाइब्रिड गुलाबों, टयूब गुलाबों, ग्लैडियूलॅस तथा अन्य मौसमी फूलों जैसे मिश्रित फूलों के न्यूनतम 10 कलशों में ताजे फूलों की आपूर्ति करना/उपलब्ध कराना, कलश को साफ करने तथा उसको रखने की स्थिति का निर्धारण भी प्रशासन प्रभाग के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार किया जाएगा।

<u>श्रेणी 'ग'</u>

वीआईपी प्रसाधन-कक्षों के लिए एस्पारागस, थूजा, मुर्राया जैसी पत्तियों से सुसज्जित उपयुक्त फूलों की दो डंडियों सहित ताजा फूलों के छोटे पात्रों की आपूर्ति करना।

<u>श्रेणी 'घ'</u>

उपयुक्त पत्तियों से सुसज्जित गुलाब, कार्नेशन, लिली आदि के 40, 30, 20 नगों के गुलदस्ते, वीआईपी पुष्प गुच्छों, ताजा फूलों के गुच्छों की आपूर्ति करना(शनिवार, रविवार तथा सभी राजपत्रित अवकाशों सहित, आवश्यकता के आधार पर)।

3. मांग

श्रेणी 'क' 'ख' तथा 'ग' हेतु फूलों की व्यवस्था की अनंतिम मांग क्रमश: 150, 125 तथा 65 है। श्रेणी 'घ' हेतु फूलों के गुच्छों की मात्रा को पूर्व-निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी मांग आवश्यकता पड़ने पर की जाएगी, तथापि अनुमान हेतु इसकी प्रति माह संख्या 10 हो सकती है। यह मांग निर्देशात्मक है तथा इसमें आवश्यकतानुसार समय समय पर परिवर्तन हो सकता है।

अनुबंध-**2**

तराशे हुए ताजा फूलों की आपूर्ति - तकनीकी-वित्तीय बोली

1. फर्म
   क) नाम ....
   ख) पंजीकृत पता ....
   ग) दिल्ली/एनसीआर में कार्यालय का पता..
   घ) स्कोप कांप्लेक्स से दूरी : ....(कि.मी.)

च) संपर्क व्यक्ति का विवरण:

   i) नाम व पदनाम --
   ii) पता --
   iii) दूरभाष: लैंडलाइन--------------------मोबाइल-------------------------
   iv) ई-मेल आईडी --

2. पैन नं. : --

(कृपया फोटोकॉपी संलग्न करें)

3. वीएटी/टीआईएन न. : --

(कृपया फोटोकॉपी संलग्न करें)

4. पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में समान कार्य का अनुभव

(पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम एक पीएसई/सरकारी विभाग सहित कम से कम तीन प्रतिष्ठित कंपनियों में समान वस्तुओं की आपूर्ति की हो)

(कृपया दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रतियां संलग्न करें)

5. बयाना राशि का ब्यौरा : डीडी नं. ....दिनांक...........

राशि रूपये ----------------------

जारीकर्ता(बैंक का नाम/पता)

6. अनुबंध-। में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार तराशे हुए ताजा फूलों की आपूर्ति हेतु उद्धृत दरें

क्रमांक	वस्तु (अनुबंध-। में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार)	प्रति फ्लॉवर पॉट/बंच (रूपये)दर (करों को मिलाकर) (रूपये)
1.	फ्लॉवर पॉट श्रेणी-क	
2.	फ्लॉवर पॉट श्रेणी-ख	
3.	फ्लॉवर पॉट श्रेणी-ग	

4	फ्लॉवर बंच श्रेणी-घ **40** फूल **30** फूल **20** फूल	
5.	कर**(**कृपया विनिर्दिष्ट करें **)**	

मैं/हम एतद्द्वारा निविदा दस्तावेज में निहित निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता हूं/ करते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम **-------------------------------**

पदनाम **----------------------------**

मोहर**:**